

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2001

मा.का.नि. 66.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (कनिष्ठ इंजीनियर) भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	बैतनमान	अयन-सह-उपेक्षा या योग्यता के आधार पर अयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुशेष है या नहीं	मीट्री भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	-------------	----------	---------	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
कनिष्ठ इंजीनियर	*20 (2001)	साधारण	5000-150	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	केन्द्रीय सेवा, समूह 'न', भराजपत्रित, अन्तःसचिवालय	8000 रु.			(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पणी :

1. आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए तय की गई अंतिम तारीख होगी (उनसे भिन्न जो अंधमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप में रहते हैं)।
2. ऐसे पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

8

9

10

आवश्यक :

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/ड्रिलिंग/खनन/सिविल/वैट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

सीधे भर्ती द्वारा

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता

- (1) निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल —सर्वस्य बोर्ड
- (2) अध्यक्षण इंजीनियर केन्द्रीय भूमिगत जल —सर्वस्य बोर्ड
- (3) प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल —सर्वस्य बोर्ड

[फा.सं. 23/44/98-जी. डब्ल्यू-1]

आर. एल. टपरवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 12th January, 2001

G.S.R 66.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Junior Engineer) Recruitment Rules, 1990 namely :

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Junior Engineer) Recruitment (Amendment) Rules, 2001.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Ground Water Board (Junior Engineer) Recruitment Rules, 1990 for the schedule the following schedule shall be substituted namely :—

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection-cum-seniority or selection by merit or non-selection posts.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
Junior Engineer	20* (2001) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 5000-150-8000	Not applicable	No
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7		8	9		10
30 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).		Essential : (i) Diploma in Mechanical/Drilling/Mining/Civil/Petroleum Technology Engg. of a recognised University or equivalent.	Not applicable		Two years
<p>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for the receipt of applications from candidates (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In respect of posts the appointment to which are made through the Employment Exchanges the crucial date for determining the age limit in each case, will be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>					
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
11			12		
By direct recruitment			Not applicable		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Departmental Promotion Committee Group 'C' (for considering confirmation) consisting of :—

Not applicable.

- (i) Director (Administration)
Central Ground Water Board —Chairman
- (ii) Superintending Engineer,
Central Ground Water Board —Member
- (iii) Administrative Officer
Central Ground Water Board —Member

[F. No. 23/44/98-GW-I]

R.L. TAPRYAL, Under.Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2001

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिचार्ड मंत्रालय केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (तकनीकी सहायक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2001 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	बेतनमान	चयन सह- ज्येष्ठता या भोग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक	1* (2001) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	4500-125-7000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष तक की जा सकती है ।)